भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2244
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2014/14 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व</u>

2244. श्री भगत सिंह कोश्यारी :
श्री रत्न लाल कटारिया :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व का बहाना बनाकर कर चोरी करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों का संज्ञान लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या स्वच्छ भारत और निर्मल गंगा के लिए दान सहित कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत किए गए दान कर मुक्त हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार प्रवासी भारतीयों वाले देश में स्वच्छ भारत और निर्मल गंगा अभियान में योगदान देने हेतु अनुषांगिक निधि स्थापित करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या ऐसे दान कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कर मुक्त होंगे; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रावधान 01.04.2014 से लागू हुए हैं। अधिनियम के अधीन कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यान्वयन का यह प्रथम वर्ष है। इस संबंध में कंपनियों द्वारा अनुपालन संबंधी सूचना कंपनियों द्वारा, निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर सांविधिक वार्षिक विवरणी दायर करने के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे, जो सितंबर, 2015 के बाद दायर किए जाने हैं।

…..2/-

(ग) : यद्यपि कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किए गए व्यय के लिए कोई विशिष्ट कर छूट नहीं दिया गया है, तथापि, अधिनियम की अनुसूची-VII में शामिल प्रधानमंत्री राहत कोष, वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्रामीण विकास परियोजनाओं, कौशल विकास परियोजनाओं आदि के लिए अंशदान जैसे कई कार्यकलापों पर व्यय के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन पहले ही ऐसी छूट दी गई है। जहां तक स्वच्छ भारत और निर्मल गंगा के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कंपनियों द्वारा किए गए अंशदान का प्रश्न है, अब तक कोई विशिष्ट कर छूट नहीं दी गई है।

(घ) से (च) : जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*****